न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

<u>राजस्व अपील सं.</u>– 20/2025
<u>जीसीएमएस सख्या</u> – (2025/1)

अपीलांटः–

1. श्रीमती गीता पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी राणाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम डोली, तहसील झंवर, जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टसः–

1. पपाराम पुत्र स्व. पुरखाराम
2. श्रीमती सूकली पत्नी स्व. पुरखाराम
   सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम डोली, तह. झंवर, जिला जोधपुर।
3. श्रीमती ढलकी देवी पत्नी गुलाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती होटल वेन्सर के पास, रामदेव मंदिर के पास, चौपासनी, जोधपुर।
4. पटवारी, पटवार हल्का नारनाडी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार जोधपुर/झंवर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 420 दिनांक 21.06.1989 जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा राजस्व अभियान कैंप, नारनाडी में स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड, श्री हनुमान प्रजापति, श्री जसवंत सिंह (अपीलांट की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह भाटी (रेस्पोडेंट सं. 01 व 02 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित, राजकमल दवे (रेस्पो. 3 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 26.05.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम नारनाडी के नामांतरकरण सं. 420 पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.1989 को अपास्त कराने हेतु दिनांक 30.12.2024 को पेश की गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

3. अपील मीमो अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट गीता के दादा सदाराम की सह खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम नारनाडी के ख.नं. 38 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है। सदाराम के देहांत के बाद पुत्र पुरखाराम, बनाराम, रखाराम, चुनाराम, भानाराम के नाम दर्ज हुई जिसके बाद पुरखाराम का देहांत होने पर अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 420 दिनांक 21.06.1989 से राजस्व कैंप में पुरखाराम के पुत्र पपाराम, माधाराम व पत्नी सुकली बेवा पुरखाराम के नाम दर्ज हुई। परंतु अपीलांट पुरखाराम की जाईदा पुत्री होने के बावजूद भी उसका नाम छोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी दिनांक 26.11.2024 को म्यूटेशन की नकल लेने पर सर्वप्रथम हुई। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि में अपीलांट का जन्म से ही हिस्से अनुसार हक है, परंतु नाम दर्ज नहीं किया गया है, जो गलत है। रेस्पोंडेंट सं. 3 ढलकी द्वितीय दौर की खातेदार है तथा प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलांट का भाई तथा प्रत्यर्थी सं. 2 अपीलांट की माता है। माधाराम फौत हो चुका है। प्रत्यर्थी 2 ने दोनो पुत्रों व स्वंय का हक रखाराम को हकतर्क किया तथा रखाराम ने प्रत्यर्थी सं. 3 ढलकी को बेचान की। अपीलांट का जरिये उत्तराधिकार मौके पर कब्जा काश्त है। विरासत का नामांतरकरण बिना जांच किये ही केवल पुरखाराम की पत्नी व दो पुत्रों के नाम स्वीकृत किया है। अपीलांट पुरखाराम की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की पुरखाराम की वारिस है। अतः नामांतरकरण सं. 420 को अपास्त कर अपीलांट का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद कानून की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया।

4. प्रत्यर्थी गण सं. 01 व 02 की ओर से श्री भंवर सिंह भाटी तथा प्रत्यर्थी स. 03 की ओर से श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी 3 श्रीमती ढलकी ने धारा 5 म्याद एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब मय शपथ पत्र पेश किया तथा अपील का लिखित जवाब भी पेश किया। जवाब के अतिरिक्त बनाराम, चुनाराम, भानाराम पिता सदाराम, नाबालिग पपाराम, माधाराम की ओर से सूकली व सुकली द्वारा रखाराम के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा के रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 05.09.1989, उप पंजीयक, लूणी की प्रति पेश की, जो ख.सं. 719/38 रकबा 12–06 बीघा है। इसके अलावा संवत् 2061–64 की खसरा [illegible] व जमाबंदी रखाराम के नाम, रजिस्ट्री रखाराम द्वारा ढलकी के पक्ष में [illegible]दित [illegible]वेज दिनांक 24.06.2008

sm/
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested

की फोटोप्रति, खसरा गिरदावरी 2077–2080 ढलकी, जमाबंदी 2077–2080 ढलकी के पक्ष में पेश की।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

6. सर्वप्रथम धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है:–

a) अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर कथन किया है कि ग्राम नारनाडी का नामांतरकरण स. 420 वाके ग्राम नारनाडी में राजस्व कंप में निस्तारण होना बताया है, जिसकी उसे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.11.2024 को पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त करने पर हुई। नामांतरकरण में अपीलांट की माता व भाईयों का नाम दर्ज किया है परंतु अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया है। इससे पहले अपीलांट को इस नामांतरकरण की कभी भी जानकारी नहीं थी। अपीलांट का नाम रिकॉर्ड में नहीं होने की किसी ने भी अपीलांट को जानकारी दिनांक 26.11.2024 से पूर्व नहीं दी। न ही नामांतरकरण स्वीकृत करते समय कोई नोटिस/सूचना/सुनवाई की जानकारी प्राप्त हुई। अतः नैसर्गिक सिद्धांतों के अनुसार देरी को क्षमा करना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा। प्रार्थना पत्र के समर्थन में तस्दीकसुदा शपथ पत्र भी पेश किया है।

b) प्रत्यर्थी संख्या 3 ढलकी की ओर से धारा 5 के उक्त प्रार्थना में अंकित आधारों/अभिकथनों का लिखित जवाब पेश कर कथन किया है कि अपील 35 वर्ष बाद हमें तंग/परेशान करने की नियत से पेश की गई है तथा अपीलांट क्रेता को ब्लेकमेल करना चाहती है। दिनांक 26.11.2024 को अपीलांट को जानकारी किसके माध्यम से व कैसे हुई। अपीलांट की माता व भाईयों ने वर्ष 1989 में रखाराम के हक में हकतर्कनामा का निष्पादन किया जिसमें माता ने भविष्य में अन्य उजरदारी होने पर उसे निपटाने का दायित्व लिया है। रखाराम ने यह जमीन जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 24.06.2008 से प्रत्यर्थी ढलकी को प्रतिफल प्राप्त कर हस्तांतरित की है। अपीलांट को प्रारंभ से ही अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी थी। अपीलांट समय–समय पर पीहर अपनी माता व भाईयों के पास आती रहती है तथा अपीलांट ने झूठे कथन कर दिनांक 26.11.2024 को जानकारी होने का कथन कर अपील को अंदर म्याद होना कथन किये है। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

की माता व भाई ने पैतृक मकान अपने पास रखकर रखाराम के पक्ष में हिस्से का तर्क किया है। अतः उसे माँ व भाईयों से मकान में हिस्सा मांगना चाहिए। मौके पर प्रत्यर्थी 3 खेती करती है, जिसकी जानकारी अपीलांट को भली भांति है। दिनांक 26.11.2024 को प्रथम जानकारी होने का कोई सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किया है। देरी से अपील पेश करने हेतु दिये गये कारण संतोषप्रद व उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया है। मात्र सहानुभूति के आधार पर विलंब का उपशमन नहीं किया जा सकता। जवाब के समर्थन में तस्दीकसुदा शपथपत्र भी पेश किया है।

c) अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह तर्क दिया कि अपीलांट को 26.11.2024 से पहले जानकारी नहीं थी। अपीलांट ससुराल रहती है। ग्रामीण परिवेश की अनुसूचित जाति की अनपढ महिला है। देरी करने में अपीलांट की कोई दुर्भावना या जानबूझकर लापरवाही नहीं रही है तथा सद्भावी कारणों से अपील पेश करने में देरी हुई है। प्रकरण से अपीलांट के उत्तराधिकार के अधिकार प्रभावित हो रहे है, जो उसका कानूनी सांपतिक अधिकार है। मात्र सद्भाविक देरी के कारण ही अपीलांट को जन्म से ही प्राप्त अधिकारों से वंचित करना न्यायोचित नहीं है।

d) उक्त के विपरीत प्रत्यर्थी 3 ने जवाब में अंकित कथनों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट को नामांतरकरण सं. 420 की भली भांति पूर्व में ही जानकारी थी। अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे तथा प्रकरण मेरिट पर श्रवण योग्य ही नहीं है।

e) हमने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों, प्रत्यर्थी 3 द्वारा पेश जवाब व बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

अपीलांट ने अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 420 दिनांक 21.06.1989 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.11.2024 को होना बताया है। यह जानकारी उसे हल्का पटवारी, माता व भाईयों से प्राप्त होना लिखा है तथा उसी समय पटवारी से संपर्क किया। नामांतरकरण की नकल प्राप्त की तथा अपीलांट का नाम नहीं होने की जानकारी नकल प्राप्त करने पर हुई। तत्पश्चात् कानूनी सलाह लेकर अपील पेश की।

प्रत्यर्थी 3 ने जवाब में अंकित किया है कि अपीलांट को नामांतरकरण दिनांक 21.06.1989, हकतर्कनामा दिनांक 05.09.1989, बेचान दस्तावेज दिनांक 24.06.2008 की जानकारी शुरू से ही थी परंतु प्रत्यर्थी 3 ने ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलांट को नामांतरकरण, हकतर्कनामा दस्तावेज या बेचान दस्तावेज की जानकारी दिनांक 26.11.2024 से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में ही थी। नामान्तरकरण संख्या 420 पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। एकतरफा आदेश पारित है। मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता तथा अपीलांट को जन्म से ही प्राप्त सांपतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट हकतर्कनामा व बेचान दस्तावेज से किस प्रकार संबंधित रही है तथा कब रही है? ऐसा तथ्य पेश नहीं हुआ है।

अतः अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक रूप से हुई है तथा उसकी गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं हो रही है। फलस्वरूप प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अंदर म्याद होना शुमार की जाती है तथा अपील का मेरिट के आधार पर निस्तारण करना हम न्यायोचित समझते है ताकि ग्रामीण परिवेश की अनुसूचित जाति की महिला को पैतृक संपति में जरिये उत्तराधिकार संपति में हक प्राप्त हो सके।

7. मेरिट पर प्रकरण के निस्तारण हेतु अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट पुरखाराम की जाईदा पुत्री है तथा हिंदू उत्तराधिकार एक्ट की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अतः पुरखाराम के अन्य वारिसान के साथ अपीलांट भी बराबर हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी रूप से अधिकारिणी है। मात्र नामांतरकरण में नाम दर्ज नहीं करने से अपीलांट को जन्म से प्राप्त सांपतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने अपने हिस्से के हकों का कभी भी किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया है। हकतर्कनामा में उसकी माता की ओर से सिर्फ दो नाबालिग पुत्रो के हको का तर्क करने का अंकन है। अपीलांट गीता का हिस्सा का तर्क करने का प्रत्यर्थी–2 सुकली को अधिकार नहीं है तथा न ही उसने हकतर्क किया है। इसी प्रकार अपीलांट ने कभी भी अपने हिस्से की भूमि का बेचान किसी अन्य या प्रत्यर्थी 3 को नहीं किया है तथा निष्पादित दस्तावेज अपीलांट के कानूनी अधिकारों तक विधि विरूद्ध शून्य व बेअसर है। अपीलांट को बेवजह नियमित वाद दायर करके घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अपीलांट का पुरखाराम की पुत्री होने का तथ्य स्वीकार्य है तथा कानून अनुसार अपीलांट का हिस्सा पहले से ही तय [illegible] करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा अपील स्वीकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

8. प्रत्यर्थी सं. 3 ढलकी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राजपुरोहित ने लिखित जवाब में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 420 दिनांक 21.06.1989 को राजस्व कैम्प नारनाडी में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.11.2024 को होना बताया है परंतु विलंब का कारण नहीं बताया है जबकि विलंब का दिन प्रतिदिन का कारण बताना आवश्यक है। अपील मीमों में अंकित सजरा–खानदान अनुसार अंपील में पक्षकारों को संयोजित नहीं किया है। प्रश्नगत नामांतरकरण पुरखाराम के देहांत पर सन् 1989 में स्वीकृत हुआ है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 ने 1989 में हकतर्क रखाराम के पक्ष में किया, जिससे जमाबंदी व गिरदावरी में रखाराम खातेदार दर्ज है। हकतर्क को चेलेन्ज नहीं किया है। रखाराम सन् 1989 से 2008 तक बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहा। रखाराम ने प्रत्यर्थी 3 ढलकी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज भूमि बेचान की है तथा 2008 से आज तक ढलकी ही काबिज काश्त है। गिरदावरी व जमाबंदी ढलकी के नाम है। आज तक किसी ने एतराज नहीं किया। बेचान दस्तावेज को चेलेंज नहीं किया है, जब तक पंजीकृत दस्तावेज निरस्त नहीं हो जाता, नामांतरकरण को अपास्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने दोलाराम व रखाराम को पार्टी नहीं बनाया है, जो आवश्यक पक्षकार है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी व फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसके तहत टाइटल, अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ नियमित वाद में ही संभव है। अतः अपील को म्याद बाहर मानते हुए खारिज किया जावे तथा मेरिट पर भी खर्चा सहित खारिज की जावे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, उभयपक्ष द्वारा बहस में प्रस्तुत कथनों व तर्को का भली भांति अध्ययन कर उन पर गंभीरता से गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा कानूनी प्रावधानो का परिशीलन किया। हमारा विनम्र विनिश्चिय इस प्रकार हैः–

a) नामांतरकरण सं. 420 अनुसार ग्राम नारनाडी का ख.नं. 38 रकबा 24–13 बीघा खाता सं. 116 अनुसार दौलाराम पुत्र कालूराम कौम राईका तथा बनाराम, रखाराम, चुनाराम, भानाराम, पुरखाराम पिता सदाराम कौम भांबी साकिन डोली की खातेदारी में दर्ज है। नामांतरकरण सं. 420 [illegible] खातेदार पुरखाराम के देहांत हो जाने के कारण पुरखाराम की [illegible] पुत्रान पपाराम व मादाराम के नाम दर्ज होने पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा [illegible]डी राजस्व कंप में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

21.06.1989 को स्वीकृत किया गया है तथा जमाबंदी में अमल दरामद किया है। ख.नं. 38 की भूमि का दौलाराम व सदाराम के उक्त वारिसान के बीच बंटवारा होने पर ख.नं. 719/38 रकबा 12–06 बीघा तथा खसरा नम्बर 718/38 रकवा 12–07 बीघा सृजित हुए। नया खसरा संख्या 719/38 बनाराम, चुनाराम, रखाराम, भानाराम पिता सदाराम, पपाराम, मादाराम पिता पुरखाराम तथा सुकली पत्नी पुरखाराम के नाम दर्ज हुआ।

b) इन सह खातेदारों ने अपने–अपने हिस्से की भूमि में निहित हक का हक त्याग, सह खातेदार रखाराम के हक में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज सं. 402/89 दिनांक 05.09.1989 उप पंजीयक लूणी में निष्पादित किया है तथा ख.नं. 719/38 की संपूर्ण भूमि 12–06 बीघा रखाराम की खातेदारी में नामांतरकरण स. 450 दिनांक 10.04.1990 से दर्ज हो गई। परिणामस्वरूप जमाबंदी व खसरा गिरदावरियों में इन्द्राज केवल रखाराम पुत्र सदाराम के नाम किये जा रहे थे।

c) रखाराम ने ख.नं. 719/38 रकब 12–06 बीघा भूमि प्रत्यर्थी 3 ढलकी देवी को जरिये बेचान दस्तावेज सं. 2008006123 दिनांक 24.06.2008 को, उप पंजीयक (तृतीय), जोधपुर के कार्यालय में पंजीकृत बेचान दस्तावेज से प्रतिफल रूपये 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) प्राप्त कर हस्तांतरित कर दी, जिसके आधार पर वर्तमान में ख.नं. 719/38 रकबा 1.9911 हैक्टर भूमि जमाबंदी व गिरदावरियों में ढलकी देवी के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसक खाता सं. 264 संवत् 2077–2080 ग्राम नारनाडी की जमाबंदी में सृजित है।

d) अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 420 दर्ज करते समय आक्षेपित भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि में दौलाराम पुत्र कालुराम राईका व बनाराम, रखाराम, चुनाराम, भानाराम, पुरखाराम पि. सदाराम सहखातेदारान के रूप में अभिलिखित थे। परन्तु इस अपील में दौलाराम व उसके वारिसान या हस्तान्तरियों को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 25.03.2025 को प्रस्तुत जवाब में रखाराम को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने का आक्षेप किया गया जिसकी प्रति अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ को दी गई है, परन्तु [illegible] पक्षकारों को संयोजन करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नामांतरकरण के बाद किए गए बंटवारा में दौलाराम के हक में 6–07 बीघा भूमि बंट में [illegible] इसी प्रकार बनाराम, चुनाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भानाराम को भी आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। अगर अपीलांट का हिस्सा पुरखाराम की सम्पति में बंटवारा से पूर्व स्थिति अनुसार निर्धारित किया जाता है तो उक्त सहखातेदारान को आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. अनुसार पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है क्यों कि सभी खातेदारान हितबद्व व्यक्ति है तथा आपसी सहमति से बंटवारा सिर्फ सभी सहखातेदारान/हितबद्व व्यक्तियों की सहमति या उन्हे सुनवाई का समूचित व पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात ही संभव है। अपीलांट की हस्तगत अपील स्वीकार करने से सभी खातेदारों के मध्य नए सिरे से आराजी का विभाजन किया जायेगा जिसके कारण वे प्रतिकुल रूप से प्रभावित होंगे। अतः वे आवश्यक पक्षकार है।

इसी प्रकार प्रत्यर्थी सख्यां–3 ढ़लकी ने खसरा नम्बर 719/38 रकबा 12–06 बीघा भूमि रखाराम से प्रतिफल अदा करके अपील पेश करने से पूर्व में ही क्रय की है परन्तु रखाराम को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि खसरा नम्बर 719/38 की पूरी जमीन रखाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट व ढ़लकी के मध्य किसी प्रकार का संव्यवहार नहीं हुआ है। अतः मध्यस्थ रखाराम आवश्यक पक्षकार है।

इसी प्रकार खसरा नम्बर 38 से सृजित खसरा नम्बर 965/718 रकबा 0.6232 है. वर्तमान में भगाराम पुत्र दोलाराम राईका के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 720/38 रकबा 0.7912 है. वर्तमान में निखील कुमार पुत्र नवीन चन्द्र माथुर व राधिका पत्नी निखील कुमार के नाम दर्ज है। अन्य व्यक्तियों के नाम भी खसरा नम्बर 38 की कुछ भूमि दर्ज है, परन्तु अपीलांट ने मूल अविभाजित भूमि में से अपना हिस्सा की मांग करने के बजाय, केवल एक चुनिन्दा खातेदार ढ़लकी को ही प्रत्यर्थी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया है जो आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन (misjoined) है, जिनकी अनुपस्थिति में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता तथा यह अपील इस हालत में संधारण योग्य नहीं है। ऐसा ही मत 2009 RRD 659, 1992 RRD 124, 1996 RRD 786, 1992 RRD 608, 1990 RRD 389, 1992 RRD 582, 2006 RBJ (13) 616 व 2022 Live Law SC-802 में प्रतिपादित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested

10. उपर्युक्त विवेचना के परिणामस्वरूप आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील पोषणीय नहीं होने से यह अपील अस्वीकार की जाती है।

जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार झंवर को लौटाया जावे।

12. इस अपील में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

13. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:48 IST
Reason: SelfAttested